न्यायालय द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 01/2021 जनसुनवाई
दायर दिनांक - 15.06.2021
निर्णय दिनांक - 29.06.2021

श्री दिलीप दीक्षित, परिक्रमा मार्ग, बड़ा बाजार, नाथद्वारा जिला राजसमन्द।	बनाम	लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द।

द्वितीय अपील अन्तर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

-: निर्णय :-

श्री दिलीप दीक्षित, परिक्रमा मार्ग, बड़ा बाजार, नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत अपील दिनांक 08.06.2021 को संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जो दिनांक 14.06.2021 को प्राप्त होकर दिनांक 15.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी अनुसार लोक सुनवाई अधिकारी (अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, राजसमन्द) द्वारा निर्धारित अवधि में कोई कार्यवाही नहीं होने से यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1853 दिनांक 15.06.2021 से श्री दिलीप दीक्षित द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति लोक सुनवाई अधिकारी (अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, राजसमन्द) को भिजवाते हुए अपील पर जवाब चाहा गया।

लोक सुनवाई अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द ने अपील का जबाव दिनांक 22.06.2021 को प्रेषित कर अवगत किया कि प्रार्थी दिलीप दीक्षित द्वारा उनके कार्यालय को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 अन्तर्गत रजि. प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु प्रार्थी को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 09.03.2021 को तलब किया गया। नियत दिनांक को प्रार्थी लोक सुचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर प्रकरण में सुनवाई की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को प्रेषित कर प्रकरण नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करा कृत कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में दर्शायी गई आराजीयात 2826, 2828, 2829, 2830 कुल किता 4 रकता 9-05 बीघा भूमि पर पेमाईश पूर्व से ही खातेदारो की खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। भूमि किस्म खनन क्षेत्र वर्ष 2002 के बाद में अंकित किया गया था एवं आराजी नम्बर 2831 रकबा 0-036 बीघा किस्म नाड़ी का उपयोग नाड़ी के रूप में किया जा रहा है किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमन्द ने अपील का जबाव दिनांक 22.06.2021 को प्रेषित कर अवगत किया कि अपीलार्थी द्वारा सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के अन्तर्गत प्रथम अपील उनके न्यायालय में आदिनांक तक पेश नहीं हुई है।

लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1953 दिनांक 23.06.2021 से भिजवाते हुए अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया। रजिस्टर्ड विभाग के बेवसाईट अनुसार उक्त पत्र दिनांक 23.06.2021 को प्राप्त हो चुका है।

प्रश्नगत अपील में लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा अपील के जवाब में वर्णित किया कि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु प्रार्थी को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 09.03.2021 को तलब किया गया। नियत दिनांक को प्रार्थी लोक सुचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर प्रकरण में सुनवाई की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को प्रेषित कर प्रकरण नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करा कृत कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। यह प्रकट होता है कि लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा प्रार्थी के परिवाद पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया और नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की गई, अतः लोक सुनवाई अधिकारी प्रार्थी के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। जहां तक प्रथम अपील का प्रश्न है, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हुए प्रथम अपील उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से अवगत कराया है। प्रथम अपील की जानकारी के अभाव में प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रावधानोनुसार कार्यवाही नहीं कराई जा सकती है। न ही अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उसके द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर, राजसमन्द को प्रेषित की गई। लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। अपीलार्थी अपील के आधारों को एवं लोक सुनवाई अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खण्डन करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा भी लोक सुनवाई अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सुनवाई अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर से सन्तुष्ट है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने आवेदन/परिवाद के सम्बन्ध मे सक्षम अधिकारियों समक्ष पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजसमन्द।
2. लोक सूनवाई अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द।
3. श्री दिलीप दीक्षित, परिक्रमा मार्ग, बड़ा बाजार, नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर